हुक्म		राजस्व अदालत जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/17	वकुलांए फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पर पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा कानाखेडा पटवार हल्का कानाखेडा तहसील मसूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 786 रकबा 03–15–00 जो साबिक खसरा नंबर 479/9 मिन से बना है। उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार लादू पुत्र रोडा जी जाति मेहरात ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.02.1970 को प्रार्थी को बेचान कर दिया तथा उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी को संभला दिया। तथा उक्त भूमि को प्रार्थी ने ही खरीद किया है, किन्तु प्रार्थी के भाई नीरा ने उक्त भूमि को खरीद नही किया किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के भाई नीरा का नाम गलत अंकन कर दिया। तथा प्रार्थी के भाई नीरा का अन्य पुश्तैनी आराजीयात की तरह नामान्तकरण खोल दिया गया जबकि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण का कोई लेना देना संबंध व सरोकार नही है। तथा अप्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई कब्जा काश्त आदि नही है, तथा प्रार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा व उपभोग चला आ रहा है, इसके बावजूद भी दिनांक 12.7.2012 को अप्रार्थीगण प्रार्थी को खातेदार राजस्व रेकार्ड में बतौर अंकन कराने से साफ इन्कार कर दिया इसलिये न्यायालय के शरण में आना पडा तथा प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के ही पक्ष में बनना पाया जाता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा प्रार्थी को बेदखल नही करे। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नकारते हुये कथन किया है, कि विवादित भूमि को बंटवारे को लेकर विवाद श्रीमान के समक्ष अप्रार्थीगण के द्धारा प्रस्तुत किया है, जो अजनाम श्री मोहन वगैरह बनाम श्री सायर विचाराधीन है साबिक खसरा नंबर 479/9 मिन से हाल खसरा नंबर 789 नही बने है, जबकि साबिक खसरा नंबर 479 एक बहुत बडा रखा है, हाल खसरा नंबर 786 रकबा 02–09–00 ही है, इस प्रकार प्रार्थी के द्धारा वर्णित कथन अपने आप में भ्रमित करने वाले कथन है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व0 श्री नीरा की लगातार सहकाश्त के कारण सरकारी सिवायचक भूमि में से लगातार काश्त के कारण गैरखातेदारी प्राप्त हुई जिसका कि रकबा 03–15–00 है, तथा संवत 2046 से 2049 में व उससे पूर्वसे प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता श्री नीरा के नाम अंकन चला रहा है। तथा साबिक खसरा नंबर 479 से ही हाल खसरा नंबर 783, 784, 786, 671/2678/2 बने है। उक्त खसरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज हुये है, एंव विधि का व काश्तकारी अधिनियम का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि किसी भी .....लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सरकारी जमीन व या गैर खातेदारी भूमि का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बेचान या हस्तांतरण नही कर सकता है। यदि हस्तांतरण कर दिया है, तो वह अपने आप में शून्य व प्रभावशून्य होता है। जिसका की प्रावधान धारा 41 राज0काश्त0अधि0 में सुंस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित है तथा जो दिनांक 23.2.1970 को प्रार्थी द्धारा खरीद की है जो कत्तई गलत व असत्य है। तथा विवादित भूमि कि किस्म गैरमुमकिन दांती है, जिस पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार से काबिज नही है, और ना ही काश्त हो सकती है। उक्त विवादित भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की 1/2–1/2 हिस्से की सहखातेदारी की आराजी भूमि है। तथा गैरखातेदारी से खातेदारी में नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 29.06.1995 से दर्ज हुई है, एंव सन् 1995 के पश्चात लगभग 17 साल बाद वाद प्रस्तुत किया है। तथा विवादित भूमि में निहित अपना हिस्सा प्रार्थी ने स्वंय रहन रखा है। तथा नकले लेने के कारण जानकारी होने वाली बात गलत व असत्य है। इस प्रकार प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू नही बनता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि वह उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.02.1970 को खरीद किया गया है, उसके आधार पर वह विवादित भूमि का अकेला मालिक खातेदार काबिज है, जबकि जो बेचाननामा दिनांक 23.02.1970 प्रस्तुत किया गया है, उसमें लादू पुत्र रोडा जाति मेहरात द्धारा साबिक खसरा नंबर 479/9 मिन बेचान किया जाना अंकित है, किन्तु बेचान के दिन लादू पुत्र रोडा उक्त विवादित भूमि का खातेदार था या नही उसके विषय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। तथा जो मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत किया गया है उसमें साबिक खसरा नंबर 479 का रकबा 303–10–00 अंकित एंव उसके बहुत सारे हाल खसरान नंबर अंकित होना पाया गया। तथा जो जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में हाल खसरा नंबर 786 में सायर पुत्र कालू, मोहन पुत्र नीरा व सकीना बैवा नीरा खातेदार दर्ज होना पाया गया। एंव अप्रार्थीगण द्धारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2042–2045 एंव 2046 से 2049 में हाल खसरा नंबर 786 सहित अन्य खसरान में सायर, नीरा पिसरान कालू कौम मेरात गैर खातेदार दर्ज होना पाया गया एंव लाल स्याही से नीरा फोत के स्थान पर मोहन पुत्र नीरा व सकीना बैवा नीरा अंकित होना पाया गया। एंव जमाबंदी संवत 2050–2053 में हाल खसरा नंबर 786 व अन्य खसरान में जरिये नामान्तकरण लाल स्याही से गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकृत होना पाया गया। तथा जमाबंदी संवत 2054 से 2057

उपखण्ड अधिकारी
मण्डल (अजमेर)

श्री सायर बनाम श्री मोहन व अन्य
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 57 सन्..2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में सायर पुत्र कालू, मोहन पुत्र नीरा व सकीना बैवा नीरा का नाम जरिये मुर्तहीन दर्ज होना पाया गया। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाई जाती है, तथा प्रार्थी द्वारा जो भूमि खरीद की गई है, उसके विषय में पत्रावली पर कोई मालिकाना हक जमाबन्दी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के हक में मामल प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का संन्तुलन बनना नहीं पाया जाता है। जहां पर प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टिया केस साबित करने में असफल होने पर प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

अतः आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: